न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 61/2015

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट :–**

1. जेतून बनो पुत्री गफुरजी पत्नी शकुर जी जाति घोसी मुसलमान निवासी आशापुरा नगर, पाली
2. तारा बानों पुत्री गफुरजी पत्नी मांगू जी जाति घोसी मुसलमान निवासी बागर चौक, जोधपुर
3. मन्नी बानो पुत्री गफुरजी पत्नी साबिर जी जाति घोसी मुसलमान निवासी गरीब नवाज कॉलोनी, पाली
4. भोली बानो पुत्री गफुरजी पत्नी कमरूदीन जाति घोसी मुसलमान निवासी घोसी कॉलोनी, पाली
5. अब्दुल सत्तार पुत्र गफुरजी जाति घोसी मुसलमान निवासी 147, राम रहीम कॉलोनी, पाली
6. मुमताज बानो पत्नी अब्दुल सत्तार जाति घोसी मुसलमान निवासी 147, राम रहीम कॉलोनी, पाली
7. सलमा बानो पुत्री अब्दुल सत्तार पत्नी हारून जाति घोसी मुसलमान निवासी हड्डी मिल, जोधपुर
8. शहनाज़ बानो पुत्री अब्दुल सत्तार पत्नी मोईनुदीन जाति घोसी मुसलमान निवासी मोचियों का बास, बालोतरा
9. यासमीन बानो पुत्री अब्दुल सत्तार जाति घोसी मुसलमान निवासी 147, राम रहीम कॉलोनी, पाली जरिये कुदरती वली पिता अब्दुल सत्तार
10. चांद मोहम्मद पुत्र गफुर जी जाति घोसी मुसलमान निवासी शिवनगर, पाली
11. मुन्नी पत्नी चांद मोहम्मद जाति घोसी मुसलमान निवासी शिवनगर, पाली

1. भूमिधारी तहसीलदार पाली
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

12. लाल मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद जाति घोसी मुसलमान निवासी शिवनगर, पाली
13. उस्मान पुत्र चांद मोहम्मद जाति घोसी मुसलमान निवासी शिवनगर, पाली
14. शहनाज पुत्री चांद, मोहम्मद जाति घोसी मुसलमान निवासी शिवनगर, पाली
15. रिज़वान पुत्र चांद मोहम्मद जाति घोसी मुसलमान निवासी शिवनगर, पाली
16. सिमरन पुत्री चांद मोहम्मद जाति घोसी मुसलमान निवासी शिवनगर, पाली
17. साईना पुत्री चांद मोहम्मद जाति घोसी मुसलमान निवासी शिवनगर, पाली

अपीलाण्ट संख्या 13 से 17 नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता चांद मोहम्मद

18. भवरू पुत्र अल्लादीन
19. शकुरन पत्नी भवरू
20. साबिर पुत्र भवरू
21. हुसैन बानो पत्नी साबिर
22. शबनम पुत्री साबिर
23. सद्दाम हुसैन पुत्र साबिर
24. शाहरूख पुत्र साबिर जरिये कुदरती वली पिता साबिर
25. रूखसार बानो पुत्री साबिर जरिये कुदरती वली पिता साबिर
26. मोहम्मद इरफ़ान पुत्र साबिर जरिये कुदरती वली पिता साबिर जातिगण घोसी मुसलमान निवासीगण घोसी कॉलोनी, पाली
27. मेमुना बानो पुत्री भवरू पत्नी युनूस खां जाति घोसी मुसलमान निवासी गांधी नगर, आबूरोड़
28. खातून बानो पत्नी ताजू खां उर्फ छोटू
29. इस्लामुदीन पुत्र ताजू खां उर्फ छोटू जी
30. मुमताज़ पत्नी इस्लामुदीन
31. गुड्डी पुत्री इस्लामुदीन
32. इरफ़ान पुत्र इस्लामुदीन
33. हीना पुत्री इस्लामुदीन नाबालिग जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कुदरती वली पिता इस्लामुदीन

34. मुस्कान पुत्री इस्लामुदीन नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता इस्लामुदीन जातिगण घोसी मुसलमान निवासीगण घोसी कॉलोनी, पाली
35. शौकीन पुत्र ताजु खां उर्फ छोटू जी
36. मेमुना पत्नी शौकीन
37. समीर पुत्र शौकीन
38. अमीर पुत्र शौकीन
39. समीना पुत्री शौकीन
40. इमरान पुत्र शौकीन जातिगण घोसी मुसलमान निवासीगण घोसी कॉलोनी, पाली
41. सलीम पुत्र ताजू जी उर्फ छोटू जी
42. बिस्मिल्ला पत्नी सलीम
43. जाविद पुत्र सलीम
44. नूरी पुत्री सलीम
45. शौकत पुत्र सलीम
46. रूकसाना पुत्री सलीम जातिगण घोसी मुसलमान निवासीगण दुर्गा कॉलोनी, पाली
47. अनवर पुत्र ताजु खां उर्फ छोटू जी
48. मेहरून पत्नी अनवर जाति घोसी मुसलमान निवासी आशापुरा नगर, पाली
49. इकबाल पुत्र ताजुजी उर्फ छोटू जी जाति घोसी मुसलमान निवासी आशापुरा नगर, पाली
50. काली पत्नी इकबाल
51. नजमा पुत्री इकबाल नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता इकबाल
52. चंदा पुत्री इकबाल नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता इकबाल
53. अयान पुत्र इकबाल नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता इकबाल जातिगण घोसी मुसलमान निवासी घोसी कॉलोनी, पाली
54. मेहरून बानो पुत्री ताजुजी उर्फ छोटू जी पत्नी भंवरूदीन जाति घोसी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मुसलमान निवासी कादरी कॉलोनी, बीकानेर

55. मुमताज बानो पुत्री ताजुजी उर्फ छोटू जी पत्नी समसुद्दीन निवासी घोसी मुसलमान निवासी कादरी कॉलोनी, बीकानेर
56. मोहम्मद रोशन पुत्र शकूरजी जाति घोसी मुसलमान निवासी रामरहिम कॉलोनी, पाली
57. नूरजहां बानों पुत्री मोहम्मद रोशन पत्नी इंसाफ मोहम्मद जाति घोसी मुसलमान निवासी गांधी नगर, आबूरोड
58. रफीक मोहम्मद पुत्र मोहम्मद रोशन
59. नसीम बानो पुत्री मोहम्मद रोशन पत्नी शौकत जी
60. फिरोज खान पुत्र मोहम्मद
61. सबीना बानो पुत्री मोहम्मद रोशन जातिगण घोसी मुसलमान निवासीगण रामरहिम कॉलोनी, पाली
62. मोहम्मद फारूख पुत्र शकूरजी
63. शरीफन बानो पत्नी फारूख
64. शाकीर मोहम्मद पुत्र फारूख
65. जरीना बानो पुत्री फारूख जातिगण घोसी मुसलमान निवासीगण दुर्गा कॉलोनी, पाली
66. बानो पत्नी मोहम्मद उमर पुत्री शकूरजी जाति घोसी मुसलमान निवासी घोसी कॉलोनी, मण्डिया रोड़, पाली
67. खेरून बानो पत्नी जमालुदीन पुत्र शकूरजी जाति घोसी, मुसलमान निवासी राम रहिम कॉलोनी, पाली
68. सुगरा बानो पत्नी शकूरजी जाति घोसी मुसलमान निवासी राम रहिम कॉलोनी, पाली
69. लाली बाई पत्नी जहुर जी जाति घोसी मुसलमान निवासी घोसी कॉलोनी, मण्डिया रोड, पाली
70. रोशन अली पुत्र जहुर जी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

71. मेहमुना पत्नी रोशन अली
72. गुड्डी पुत्री रोशन अली
73. मुस्कान पुत्री रोशन अली नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रोशन अली
74. फरीना पुत्री रोशन अली नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रोशन अली
75. समीना पुत्री रोशन अली नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रोशन अली
76. नाजीया पुत्री रोशन अली नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रोशन अली
77. मोहम्मद हुसैन पुत्र रोशन अली नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रोशन अली
78. रूस्तम अली पुत्र जहुर जी
79. सलमा पत्नी रूस्तम अली
80. यासमीन पुत्री रूस्तम अली नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रूस्तम अली
81. राजा पुत्र रूस्तम अली नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रूस्तम अली
82. मोईनुद्दीन पुत्र रूस्तम अली नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रूस्तम अली जातिगण घोसी मुसलमान निवासीगण घोसी कॉलोनी, मण्डिया रोड़, पाली
83. मुन्नी बानो पत्नी मोहम्मद शकूर पुत्री जहुरजी
84. हनिफा बानो पत्नी मोहम्मद गफार पुत्री जहुर जी जातिगण घोसी मुसलमान निवासीगण गुर्जरो की गवार, बीकानेर
85. शरीफन बानो पत्नी कमरूदीन पुत्री जहुर जी जाति घोसी मुसलमान निवासी गंगाशहर, बीकानेर
86. बानो पत्नी मोहम्मद रमजान पुत्री जहुरजी जाति घोसी मुसलमान निवासी बोम्बे मोटर चौराहा, जोधपुर
87. महफल बानो पत्नी खाजु जी पुत्री जहुर जी जाति घोसी मुसलमान निवासी उदय मन्दिर के पास, जोधपुर
88. नूरजहॉ पत्नी जाकिर जी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

89. सुहाना बानो पुत्री जाकिर जी
90. शाहरूख पुत्री जाकिर जी
91. आरीफ पुत्र जाकिर जी
92. राईना पुत्री जाकिर जी जातिगण घोसी
    मुसलमान निवासीगण घोसी कॉलोनी
    मण्डिया रोड़, पाली
    समस्त अपीलाण्ट जरिये आम मुख्तियार
    जाकिर हुसैन पुत्र जहुरजी जाति घोसी
    मुसलमान निवासी घोसी कॉलोनी,
    मण्डिया रोड़, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट्स की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.9.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 7/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बागडिया के गत खसरा नम्बर 584 रकबा 351 बीघा भूमि जागीरदार श्री प्रतापसिंह की भूमि थी। उक्त भूमि का पट्टा प्रतापसिंह द्वारा दिनांक 04.05.1955 द्वारा घोसी गफुर खां, शकुर, भंवरू, ताजु, जहुर बेटा पोता अल्लाहदीन जाति घोसी निवासी पाली को बापी के रूप में काश्त हेतु दिया था। तब से उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पूर्वज एवं उनके पश्चात अपीलाण्ट काबिज काश्त है। गत खसरा नम्बर 584 के हाल खसरा नम्बर 288 रकबा 452 बीघा बने है, जिसमें से 351 बीघा भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी कब्जा काश्त की रही है। जो पट्टा भूतपूर्व जागीरदार द्वारा जारी किया गया था, उसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। जागीर पुर्नग्रहण होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय अपीलाण्ट के पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज काश्त थे, जो जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी थे, किन्तु उन्हे खातेदार के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है, किन्तु उक्त भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से ही अपीलाण्ट के पूर्वज एवं उनके

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पश्चात अपीलाण्ट काबिज काश्त है। राजस्व कार्मिकों द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण जवाबदावा में नियत था, इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण अपीलाण्ट्स को राजस्व लोक अदालत कैम्प निम्बली उर्रा में उपस्थित होने के नोटिस दिया गया, जिसमें कुछ अपीलाण्ट्स के आम मुख्तियार उपस्थित हुए, जिनकों कहा गया कि अभी इसमें प्रतिवादीगण का जवाब नहीं आया है, इसलिए प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण नहीं हो सकता है। इस पर अपीलाण्ट्स आदेशिका में हस्ताक्षर कर वहां से चले गए। उसके पश्चात न्यायालय से प्रकरण की जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को निर्णित करते हुए अपीलाण्ट का वाद खारिज़ कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, जहां प्रतिवादी द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया जाता, वहां यह माना जावेगा कि प्रतिवादी ने वादी के वाद को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है और वादी का वाद, वाद में चाहे गए अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाना आज्ञापक है। इसके विपरित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त यह भी सस्थापित सिद्धान्त है कि वाद के दोनों पक्षकारों के मध्य किसी बात का विवाद है, तो उस बाबत दोनों पक्षों को अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करने के बाद तनकीयात का विधि अनुसार विनिश्चय करते हुए ही वाद को निर्णीत किया जावेगा, किन्तु हस्तगत प्रकरण में न तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का जवाबदावा प्राप्त किया, न तनकियात कायम की, न साक्ष्य संग्रहित किए एवं न ही तनकीयात को विनिश्चित किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों में यदि दोनों पक्षों के मध्य समझाईश से राजीनामा नहीं हो, तो प्रकरण पुनः नियमित अदालत में रख कर सुनवाई किया जाना चाहिए एवं विधिक प्रक्रिया अनुसार उसका निस्तारण किया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए वाद को माफिक अनुतोष डिक्री करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया था, जो विधि अनुसार पोषणीय नहीं था। इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित हुई थी, जिनमें अपीलाण्ट्स उपस्थित थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को विधिक प्रावधानों से अवगत कराते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ योग्य है।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित आराजी अपने पूर्वजों को भूतपूर्व जागीरदार श्री प्रतापसिंह द्वारा बापी पट्टे के रूप में प्रदान करने एवं उक्त भूमि पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही अपने पूर्वजों एवं उनके पश्चात स्वयं का कब्जा काश्त होने के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण जवाबदावा में नियत था, इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखा गया तथा कुछ अपीलाण्ट की उपस्थिति में प्रकरण का निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रकरण में विभिन्न विधिक बिन्दु निहित थे, जिनका विवाद्यक कायम कर विनिश्चय किया जाना आवश्यक था, किन्तु राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान् में राजीनामा हुए बगैर प्रकरण को निर्णीत करने की मंशा से प्रकरण में विधिक प्रक्रिया की पालना किए बिना निर्णय पारित करना विधि सम्मत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। चूंकि प्रकरण के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकरण में तहरीर व तकमील हुए राजस्व रेकर्ड एवं पक्षकारान् के अभिवचनों का विधिक परीक्षण आवश्यक था, जिससे पक्षकारान् के हक अधिकारों का विधिवत निर्धारण किया जाना था। प्रतिवादी का जवाददावा रेकर्ड पर लिया जाना था। किन्तु जब साक्ष्य ही नहीं लिया गया, दस्तावेजात् का प्रकटीकरण ही नहीं हुआ, तनकीयात को कायम किया जाकर विनिश्चित ही नहीं किया गया, तो किस आधार पर निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है ? यह स्थिति विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से अपीलाण्ट के कथनों, दस्तावेजात् एवं राजस्व रेकर्ड परस्पर विधिक परीक्षण के मोहताज़ थे, जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी रूप में छुआ ही नहीं है। न्यायालय का कार्य मात्र प्रकरणों को निर्णित करना ही नहीं, वरन पक्षकारान् को विधि दायरे में रह कर न्याय प्रदान करना है। हस्तगत प्रकरण में इन सिद्धान्तों को भी पूर्णतः अनदेखा किया गया है। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 7/2013 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रिया अनुसार पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, दस्तावेजात् का विधिक परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली